

(भारत सरकार का उपक्रम)

ए.आर.एम.बी आरा: दूसरा तल्ला, होटल रिगल कॉम्प्लेक्स, रमना मैदान के निकट, आरा, भोजपुर, बिहार-802301

ईमेल: cs8187@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधान के साथ पठित विनिय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रावर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एकद्वारा सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उपभोक्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है, जिसका रचाना/पौतिक/सांकेतिक कच्चा बैक/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, संबंधित उपभोक्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) से बैक/सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि को वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और बचाना राशि संबंधित संघर्षों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

सुरक्षित परिसम्पत्तियों की अनुसूची

क्र.सं.	शाखा का नाम	बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण/ मालिक का नाम (सम्पत्ति यों) का बंधककर्ता)	क) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के तहत योग्य सूचना की तिथि	क) आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तारीख/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भारों का विवरण
	खाता का नाम		ख) योग्य सूचना के अनुसार बकाया राशि	ख) ईएमपी		
	कर्मचदार / जमानतदार का नाम एवं पता		ग) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कच्चा की तिथि।	ग) बोली वृद्धि राशि		
			घ) कच्चे का प्रकार सांकेतिक/पौतिक/रचनात्मक			
			ङ) बिक्री सूचना के अनुसार बकाया राशि			
1.	पीएनबी- शाखा: आरा स्टेशन रोड (149400) मेसर्स जय माँ लक्ष्मी जी मिनी राइस मिल प्रा.प.-श्री वकील चौधरी खाता नं.- 1494008700015979 श्री वकील चौधरी पिता-श्री सुगन्ध चौधरी श्री विरेन्द्र चौधरी पिता-श्री सुगन्ध चौधरी श्री फूलचन्द चौधरी पिता-श्री सुगन्ध चौधरी सभी निवासी: ग्राम-नारायणगढ़, पो.-जितौग, जिला-भोजपुर, आरा विहार-802159	1. अचल सम्पत्ति का सभी भाग एवं अंश जो मौजूद-छापरही जंगल, धाना-पिठा, धाना नं.-17, एसआरओ-जगदीशपुर, जिला-भोजपुर में अवस्थित है जिसका खाता नं.-61, प्लॉट नं.-3138, रकबा-54.5 डिसमिल (17 कट्ठा 10 धुर) है जिसका सेल डीड नं.-2174 तिथि 03.04.2002 जो श्री फूलचन्द चन्द चौधरी, श्री वकील चौधरी एवं श्री विरेन्द्र चौधरी, सभी के पिता-स्व. सुगन्ध चौधरी। चौहरी: उत्तर-दशरथ सिंह, दक्षिण-कच्ची सड़क, पूरब-कृष्णन्दन सिंह, पश्चिम-रामरेखा सिंह। 2. अचल सम्पत्ति का सभी भाग एवं अंश जो मौजूद-छापरही जंगल, धाना-पिठा, धाना नं.-17, एसआरओ-जगदीशपुर, जिला-भोजपुर में अवस्थित है जिसका खाता नं.-61, प्लॉट नं.-3147, रकबा-62.5 डिसमिल (1 बिघा) है जिसका सेल डीड नं.-2174 तिथि 03.04.2002 जो श्री फूलचन्द चन्द चौधरी, श्री वकील चौधरी एवं श्री विरेन्द्र चौधरी, सभी के पिता-स्व. सुगन्ध चौधरी। चौहरी: उत्तर-चन्द्रदेव सिंह, दक्षिण-रामरेखा सिंह, पूरब-गोपाल साह, पश्चिम-जगदीश सिंह।	क) 23.08.2023 ख) रु. 52,11,221/- + आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क ग) 28.11.2023 घ) सांकेतिक ङ) रु. 75,00,000/- + आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क	क) रु. 68,27,490/- ख) रु. 6,82,749/- ग) रु. 25,000/-	29.06.2026 दोपहर 12:00 से सायं 04:00 तक	ज्ञात नहीं
				क) रु. 17,71,470/- ख) रु. 1,77,147/- ग) रु. 25,000/-		

नियम एवं शर्तें

बिक्री सूचना हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों निम्नलिखित के अधीन होगी।

- संपत्तियों "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेची जा रही है।
- उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- बिक्री अधोहस्ताक्षरों द्वारा वेबसाइट <https://baanknet.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 29/06/2026 को दोपहर 12:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक की जाएगी।
- बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> और www.pnbindia.in देखें।

नोट:- विवाद की स्थिति में अग्रणी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी